अधिसूचना

केमाशिबो/निदेशक-प्रशिक्षण/2018 20 अगस्त, 2018

केमाशिबो में सेवारत क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए संसाधन व्यक्तियों/प्रशिक्षकों के लिए आमंत्रण

शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास राष्ट्र की शिक्षण प्रणाली के विकास में मौलिक भूमिका निभाता है और केमाशिबो एक राष्ट्रीय बोर्ड होने के नाते उससे संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रमुखों व शिक्षकों के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम और अन्य व्यावसायिक विशेषताओं के प्रति समझ विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

केमाशिबो उन प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों को साथ लेकर चलने के लिए प्रयासरत है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और विद्यालयों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) में अपनी सेवा के लिए संसाधन व्यक्ति/प्रशिक्षक बनने में रुचि रखते हैं। इच्छुक व्यक्ति में निम्नलिखित गुण होने अनिवार्य है तथा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे। प्रपत्र में उन क्षेत्रों/विषयों के बारे में जानकारी सम्मिलित है जहां पर विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

1. विषय विशेषज्ञता -

सेवारत/सेवानिवृत्त शिक्षाविद, केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालय/कॉलेजों के प्रधानाध्यापक/प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्रोफेसर होना चाहिए

या

केमाशिबो से संबद्ध स्कूल के प्रिंसिपल/पीजीटी/टीजीटी/पी टी आई/परामर्शदाता/विशेष शिक्षक/प्राथमिक अध्यापक

या

केंद्रीय, राज्य सरकार के शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थान

अनुभव -

अ) विशिष्ट विषय कार्यक्रमों के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री होनी चाहिए तथा प्रासंगिक विषयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण/प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त हो।

ब) सामान्य क्षेत्रों जैसे जीवन कौशल, समावेशी शिक्षा, व्यवसाय मार्गदर्शन आदि के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम 5 वर्षों का शिक्षण/प्रशिक्षण अनुभव होना चाहिए।

2. वितरण और सुविधा कौशल

क) हिंदी और अंग्रेजी में प्रवीणता तथा कंप्यूटर साक्षर होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान एक अतिरिक्त योग्यता होगी।

ख) निर्दिष्ट क्षेत्रों तथा भिन्न भिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए यात्रा करने के लिए तैयार होना चाहिए।

ग) उत्कृष्ट संवाद कौशल होना चाहिए

घ) प्रशिक्षुओं की आवश्यकताओं को सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों रूप में समझने में सक्षम होना चाहिए और विभिन्न विधियों का उपयोग करके आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो।

ड़) प्रश्नों को हल करने और वयस्क शिक्षण शैलियों को शामिल करने में सक्षम होना चाहिए।

3. व्यक्तिगत आचरण -

क) उत्साहजनक होना चाहिए। प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया को सकारात्मक रूप में लेने में सक्षम होना चाहिए।

ख) एक आदर्श रूप होना चाहिए।

4. उम्मीदवारों को बोर्ड की मौजूदा नीतियों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए।

5. कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नियुक्त की गए संसाधन व्यक्तियों को बोर्ड के मानदंडों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

फॉर्म को विधिवत रूप में भरकर 30 सितंबर 2018 तक जमा करें।

इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप डॉ. राम शंकर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) से 011-23211200 पर केमाशिबो या cbsecbp.rp@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

विश्वजित साहा

(डॉ. विश्वाजित साहा)
निदेशक (प्रशिक्षण)

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, एन सी ई आर टी, नई दिल्ली
2. निदेशक, एन आई ई पी ए, नई दिल्ली
3. अपर सचिव, यू जी सी, नई दिल्ली
4. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन,18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नईदिल्ली-110016
5. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा-201309
6. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054
7. लोक शिक्षण निदेशक (स्कूल), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017
8. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
9. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर-791111
10. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर-744101
11. अवरसचिव, (ई ई-1), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, एस ई एंड एल विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
12. अतिरिक्त महानिदेशक सेना शिक्षा, ए-विंग, सेनाभवन, डीएचक्यू, पीओ, नईदिल्ली - 110001
13. सचिव आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी रक्षा मंत्रालय (आर्मी) एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट एपीएस) दिल्ली कैंट - 110010
14. निदेशक, एस सी ई आर टी, सभी राज्य
15. केमाशिबो के सभी क्षेत्रीय निदेशक / क्षेत्रीय अधिकारी को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में, बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को इस परिपत्र को भेज दें
16. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, केमाशिबो
17. सी ओ ई, केमाशिबो के सभी प्रमुख व इंचार्ज।
18. संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण)
19. के.मा.शि.बो के सभी संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ सहायक सचिव/विश्लेषक
20. आई.टी. प्रभारी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को केमाशिबो की वेबसाइट पर डाल दें
21. निजी सचिव, अध्यक्ष, ए आई सी टी ई
22. अनुसंधान अधिकारी, एन सी टी ई, नई दिल्ली
23. निजी सचिव, अध्यक्ष, केमाशिबो
24. अध्यक्ष के वरिष्ठ निजी सचिव, केमाशिबो
25. परीक्षा नियंत्रक के वरिष्ठ निजी सचिव, केमाशिबो
26. निदेशक (सूचना तकनीकी) के वरिष्ठ निजी सचिव, केमाशिबो
27. निदेशक (सी टी ई टी) के वरिष्ठ निजी सचिव, केमाशिबो
28. निदेशक (एडुसेट) के वरिष्ठ निजी सचिव, केमाशिबो
29. निदेशक (शैक्षणिक) के वरिष्ठ निजी सचिव, केमाशिबो
30. निदेशक (कौशल शिक्षा व प्रशिक्षण) के वरिष्ठ निजी सचिव, केमाशिबो
31. संयुक्त सचिव व ओ एस डी (नीट)) के वरिष्ठ निजी सचिव, केमाशिबो
32. रिकॉर्ड फ़ाइल

निदेशक (प्रशिक्षण)

"शिक्षा सदन", 17, इंस्टिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, नई दिल्ली-110002
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002
फोन / Telephone : +91-11-23212603, 23234324(telefax) वेबसाइट/Website: www.cbseacademic.in